

23/05/19 पक्षावली पेश हुई। जिजा अभिमान
जन्मा द्वारा अंगत कराया गया
कि लोक सभा चुनाव की मतगणना
में बाधित। अधिकार एजेंड के
द्वय में कार्य करने में न्यायालय में
उपास्थित नहीं होने में। पक्षावली
सावित्री आदेश में दिनांक 09.07.19
को पेश हो।

09.07.19 पक्षावली पेश हुई। उभयपक्ष
अनुपास्थित विधिवत बार बार
आवाजे उगवाई गई। फिर भी
कोई उपास्थित नहीं हुआ।
उभयपक्ष को न्यायालय में
अन्तिम अवसर दिया जाता है
पक्षावली वाले उचित आदेश
है। दिनांक 13.08.19 को
पेश हो।

13.08.19 पक्षावली पेश हुई। पक्षील वासी अनुपास्थित
विधिवत बार बार आवाजे उगवाई गई
फिर भी कोई उपास्थित नहीं हुआ। वासी
मर्क में भी दिनांक 03.05.19 व 09.07.19
को अनुपास्थित रहा है ऐसी स्थिति में
सदर को अदम हजरी में धारित किया
जाना उचित घटीत सला है
वासी के अनुपास्थित रहने के कारण सुकर
को अदम हजरी में धारित किया जाता है
पक्षावली के मूल सुमार होकर दर्ज
में कम की जावे।

पक्षावली अधिकारी।
ह.